

राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग

क्रमांक: एफ.1(13)आ/बी/निर्वा/2026/ 3243

जयपुर, दिनांक :- 28/9/2026

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के पत्र क्रमांक प.3 (1) प्र.सु./ अनु-3/2024-07601 दिनांक 08.07.2026 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 के चयनित निम्नांकित 06 अभ्यर्थियों को निर्वाचन विभाग आवंटित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 यथा संशोधित के तहत कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के लिए वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प० 15 (1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 11.12.2024 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer&Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 12,600/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-02 पर निम्नलिखित शर्तों पर उनकी कार्यग्रहण तिथि से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है :-

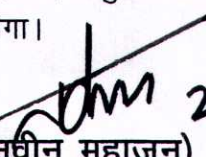
क्र.सं.	मैरिट क्र०/ रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम /वर्ग	जन्म दिनांक	अभ्यर्थी का पता
1.	427 / 1428989	अरुण प्रताप सिंह सिकरवार पुत्र श्री दिलीप सिंह सिकरवार (GEN)	10.10.1996	कविनगर, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा - 311025
2.	3065 / 1456222	अंजलि चौधरी पुत्री श्री हंसराज जाट (OBC)	10.07.2002	देवली गांव, तहसील देवली, जिला टोंक - 304804
3.	15179 / 1335379	संजय कुमार पुत्र श्री बीरबल राम (SC)	25.12.1998	वार्ड नं. 8, ग्राम गोमट, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर - 345021
4.	44965 / 1201651	वैशाली नायक पुत्री श्री ओम प्रकाश नायक (SC)	31.03.2001	मुक्ता प्रसाद रोड, सर्वोदया बस्ती, जिला बीकानेर - 334004
5.	46012 / 2624452	मीजा बाई मीना पुत्री श्री राम सिंह मीना (ST)	16.07.2003	ग्राम कोटरी, पोस्ट गुरदेह, तहसील मण्डरायल, जिला करौली - 322242
6.	55587 / 1334562	माया मीणा पुत्री श्री रामजीलाल मीणा (ST)	19.08.2002	11, आकाश विहार, चरण नदी 2, मुरलीपुरा, जिला जयपुर - 302039

उक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अस्थायी सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्य ग्रहण करने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए विभाग को सूचित करना होगा कि वे कब तक कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाई की जावेगी।

3. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प्र./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परीवीक्षा काल (Probation Period) में केवल नियत पारिश्रमिक देय है। अतः कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. निर्धारित परीवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतन श्रृंखला देयता के आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पे मैट्रिक्स के लेवल-2 के सैल नंबर 1 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा - 2024 में इस विभाग में आवंटित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वरिष्ठता सूची के अनुसार योग्यता क्रम में रहेगी।
9. कर्मचारियों की जन्म तारीख राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को परीक्षा हेतु प्रेषित फार्म जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है, में उल्लेखानुसार एवं सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है, जो अपरिवर्तनीय होगी।
10. परीवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा- मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
14. राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। नियुक्ति संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अध्याधीन रहेगी।

15. यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज बोगस/फर्जी/मिथ्या पाये जाते हैं तो कार्यग्रहण के उपरान्त भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर उनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जावेगी साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से डिबार किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।
16. अभ्यर्थी की परीवीक्षाधीन कर्मचारी के रूप में नियुक्ति तिथि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर इस विभाग में कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
17. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों/घोषणा पत्रों में मिथ्या सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी के सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति निरस्त किये जाने की नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी।
18. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
19. यह नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन रहेगी।
20. परीवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलैण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से नियमानुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा।

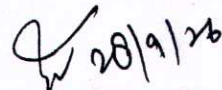
 28/9/26
 (नवीन महाजन)
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.1(13)III/बी/निर्वा/2026/ 3863

जयपुर, दिनांक :- 28/9/26

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय निर्वाचन मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. शासन उप सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के पत्र क्रमांक प.3 (1) प्र.सु./अनु-3/2024-07601 दिनांक 08.07.2026 के क्रम में।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. लेखा शाखा, (बजट/भुगतान) निर्वाचन विभाग, राज0 जयपुर।
6. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. संबंधित अभ्यर्थी।
8. संबंधित अभ्यर्थी की निजी पत्रावली।
9. रक्षित पत्रावली।

 28/9/26
 उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
 राजस्थान, जयपुर